राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2021 जयपुर,दिनांकः 27 SEP 2022

–:परिपत्र:–

विषयः–समस्त राजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण भरने के संबंध में।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 14.04.2011 के द्वारा राज्य के समस्त राजपत्रित अधिकारियों का दिनांक 01 जनवरी 2011 व उसके पश्चातवर्ति वर्षो का अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। समस्त विभागों के समस्त कर्मचारियों के अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक किये जाने के बारे में दिनांक 29.06.2021 द्वारा 1 जनवरी 2021 से राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन–लाईन किये जाने का निर्णय लिया गया था, जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड,निगम स्वायत्तशाषी संस्थाओं उपक्रमों पर भी लागू किया गया था। साथ ही अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहीं किये जाने पर कर्मचारियों को विजीलेंस क्लीयरेंस नही दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने व आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत नही किये जाने के दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.01.2011 की स्थिति में एवं उसके पश्चात के किन्ही वर्ष का अचल सम्पत्ति विवरण भर कर सार्वजनिक नहीं किया गया है एवं जिन कर्मचारियों द्वारा दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में एवं उसके पश्चात के वर्ष का अपना अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है उन्हे एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 31.12.2022 तक का समय प्रदान किया जाता है।

उक्त अधिकारी व कर्मचारी राज–काज के माध्यम से अपनी पूर्ववर्ती बकाया अचल सम्पत्ति विवरण की पूर्ति नियत तिथि 31.12.2022 तक करना सुनिश्चित करेंगे।

27/9/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव /उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. आयुक्त,सुचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
9. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर कक्ष कार्मिक विभाग ।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
11. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित

Devendra 27/09/2022
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

Devendra 27/09/2022
संयुक्त शासन सचिव